नगरपालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की बैठक, दि० 19-7-2000 जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई, के क्रम में आज दि० 21-7-2000 को आहूत बोर्ड की बैठक में उपस्थित माननीय सभासदों का विवरण।

उपस्थित:-

1-	हरखपुर	श्री सतीश कुमार सोनकर
2-	उमरपुर	श्री जगदीश कुमार सोनकर
3-	अहियापुर	श्री संजय कुमार मौर्य
4-	ईशापुर	श्री श्याम बिहारी सेठ
5-	भण्डारी	श्रीमती इन्द्रा देवी साहू
6-	कटघरा	श्री ज्यारत हुसैन
7-	चाचकपुर	श्री कल्लू यादव
8-	रौजा अर्जन	श्रीमती महरुन्निशा
9-	ओलन्दगंज	श्री गुलाबचन्द
10-	रासमण्डल	श्रीमती निर्मला गुप्ता
11-	मछरहट्टा	श्री अजय यादव
12-	पानदरीबा	श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया
13-	मुफ्तीमहल्ला	श्री वकील अहमद मंसूरी
14-	ताड़तला	कु० बुशरा खातून
15-	रुई	श्रीमती मीरा साहू
16-	ख्वाजगीटोला	श्री प्रमोद कुमार गुप्त
17-	ढालगरटोला	श्री गुलाबचन्द शाह
18-	नामित सदस्य	श्री महेन्द्र कुमार सोनकर
19-	" "	श्री संतोष कुमार
20-	" "	श्री रमेश सेठ
21	" "	श्री राजेन्द्र कुमार

(सतीशचन्द्र मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, जौनपुर

(सन्ध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

21-9-2000

नगर पालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की बैठक दिनांक 21-9-2000 की कार्य-वृत्त।

बैठक शुरू होने से पूर्व मा० अध्यक्ष श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव ने कहा कि शारदीय नवरात्र से पहले इस बोर्ड की बैठक में नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी जलकल अभियन्ता सहायक अभियन्ता एवं अन्य सभी कर्मचारियों का तथा अपने मान्य सभासद भाई-बहनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगामी आने वाला त्यौहार सुखद का संदेश लाये। इसके साथ में बोर्ड की कार्यवाही शुरू करने हेतु श्री श्रीमोहन यादव, आशु लिपिक को निर्देशित करती हूँ।

कार्यवाही जैसे ही आरम्भ हुई कि श्री श्यामबिहारी सेठ मान्य सभासद ने एक पत्रक मा० अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत करते हुये कहा कि इसके पहले वाली बैठक जो स्थगित हो गयी उस समय भी मैंने इसकी एक प्रति दिया था और आज भी दे रहा हूँ, इस पर क्या कार्यवाही हुई चर्चा हो जाय जिसका विरोध श्री वकील अहमद मंसूरी व श्री सतीश कुमार सोनकर सहित अन्य कई सभासदों ने किया और कहा कि बोर्ड की कार्यवाही पहले शुरू की जाय। बाद में इस पत्रक पर चर्चा कर ली जायेगी। मा० अध्यक्ष ने कहा कि मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि ऐसा ही पत्रक पिछली बैठक के दिन मान्य सभासद श्री श्याम बिहारी सेठ ने दिया था, उस दिन कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गयी थी इसलिए मैंने इसकी फोटो कापी लगाकर दिनांक 11-9-2000 को जलकल अभियन्ता को पत्र लिखकर उत्तर मांगा था, जो अभी तक नहीं आया।

आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि आज की बैठक जो आहूत हुयी है इसमें उत्तर-प्रत्युत्तर की चर्चा की प्रतीक्षा की जा रही है। मा० अध्यक्ष जी सदन में कार्यवाही की व्यवस्था का जो प्रश्न उठता है उसमें व्यवस्था के बारे में निर्देश हो उसका अनुपालन होगा फिर आगे की कार्यवाही चलायी जाय। इस पर मा० अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा, जिसपर अधिशासी

अधिकारी ने कहा कि मैं मान्य सभासद जी की बातों को समझ नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक एक मान्य सभासद ने एक पत्रक दिया, इस विषय पर तो निश्चित रूप से पहले एजेन्डा पर चर्चा होती है, उसके बाद आये हुये पत्रक पर बाद में।

आगे श्री सतीश कुमार मान्य सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी जैसा कि अभी चर्चा के दौरान पिछली कार्यवाही की पुष्टि के लिए चर्चा आरम्भ हुई कि इसी बीच श्री श्याम बिहारी सेठ मान्य सभासद ने एक पत्रक आपको दिया और उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए यह कहा कि आपको पूर्व में ही ऐसा पत्रक दिया गया था और पिछली बैठक जो कोरम के अभाव में नहीं हुयी, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले एजेन्डा कुछ और था और आज एजेन्डा कुछ और है। जैसा कि एक सप्ताह पूर्व एजेन्डा दिया जाना चाहिए था इसलिए मैंने जो एजेन्डा दिया था वह एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया, उसे भी एजेन्डा में रखना चाहिए था। इसमें पक्षपात रवैया अपनाया जा रहा है। इस पर मा० अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका पत्रक मुझे मिला ही नहीं इस पर मान्य सभासद श्री सतीश कुमार सोनकर ने कहा कि मैंने कार्यालय में बहुत पहले दिया था अब आपका कार्यालय जाने। मैं तो सभासद के रूप में रचनात्मक कार्यों के लिए सहयोग करता हूँ क्योंकि तमाम अधिकारी-कर्मचारी आपके अधीन हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्व पत्र क्यों नहीं इन्टरटेन किया गया। सदन के संज्ञान में जो पत्रक आया है उसी क्रम में मैं भी अपना पत्रक दे रहा हूँ इसे भी लिया जाय, और मान्य सभासद श्री सतीश कुमार ने 11 सभासदों के हस्ताक्षरित एक पत्रक मा० अध्यक्ष जी को दिया और श्री वकील अहमद मंसूरी सभासद ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि यदि पुष्टि के पहले श्री श्याम बिहारी सेठ के पत्रक पर चर्चा होती है तो इसे भी शामिल कर चर्चा कर ली जाय, और इसे भी देख लिया जाय। इस पर मा० अध्यक्ष ने उपरोक्त पत्रक कार्यालय अधीक्षक को देने के लिए आदेशित किया। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि एजेन्डा की पुष्टि कर ली जाय और इस पत्रक पर जब चर्चा करना चाहें मैं पालिका अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मा० अध्यक्ष ने चर्चा कराने के पूर्व पिछली कार्य-सूची पढ़कर

Scanned with OKEN Scanner

सुनाने के लिए पंकज सिंह को निर्देशित किया और पंकज सिंह द्वारा पिछली कार्य-वृत्ति पढ़ी गयी।

<u>प्रस्ताव सं० 1</u>- पिछली बैठक दिनांक 27/28-3-200[illegible] की कार्यवाही वाले बिन्दु पढ़ी गयी।

पिछली कार्यवृत्ति श्री प्रमोद कुमार गुप्त मान्य सभासद सहित अनेक मान्य सभासदों ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मा० अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी ने कहा कि पिछली कार्यवृत्ति की एक-एक प्रति सभी मान्य सभासदों के यहाँ पूर्व में भेज दी गयी है। यदि उस पर किसी को कोई चर्चा करनी हो तो कर लें। इस पर श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि जब भाई श्री प्रमोद जी कह रहे हैं तो सदन में पिछली कार्यवृत्ति पढ़ दी जाए। इस पर पिछली कार्य-वृत्ति पढ़ी गयी। मान्य सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि पिछली कार्य-वृत्ति जो सदन में पढ़ी गयी चूँकि हमारे बीच के एक मान्य सभासद महोदय द्वारा कई बैठकों में समस्या उठायी गयी कि मैंसफाल्ट की कठिनाई के कारण सड़क की पैच मरम्मत नहीं हुयी तथा कई कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में टेण्डर हो जाते हैं और कार्य नहीं होते हैं। मुझे एक चीज याद है कि मेरे सहयोगी भाई कई बैठकों में यह प्रश्न उठाये हैं कि उस समय त्यौहार था और आज भी त्यौहार प्रारम्भ होने जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैंसफाल्ट की समस्या सालव हो गयी है और सड़क बन गयी है और जोनडर में जनता आवाज उठाना बन्द कर दिया है। क्या वह सब कार्य पूरा हो गया है, यह पुष्टि के अहम बिन्दु है।

आगे श्री प्रमोद कुमार मान्य सभासद ने कहा कि जो नामकरण का पत्थर लगाने की बात है, क्या वह शासन से स्वीकृत हो गया है। जैसे कि मुन्नाटोला में एक रास्ता जाता है, वहाँ पत्थर लगा है। इस पर मान्य सभासद श्री सतीश कुमार मान्य सभासद ने कहा कि मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं मा० अध्यक्ष जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ एक पत्थर नामकरण का लगा है अथवा इसके पहले कहीं और लगा है।

मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने बताया कि अभी मान्य सभासद श्री प्रमोद कुमार जी ने एक प्रश्न किया, श्री सतीश कुमार जी ने दूसरा प्रश्न किया। यह निश्चित रूप से जैसा कि मुझे जानकारी है कि सभी प्रस्ताव आयुक्त महोदय के यहाँ गये हैं और वहाँ से कुछ नहीं आया है। जहाँ तक

प्रस्ताव सड़क के नामकरण का है, उसके सम्बन्ध में जानकारी देना चाहूँगा कि एक नामकरण का पत्थर पुराने चेयरमैन श्री गयाशंकर जी के नाम से और दूसरा गुल्लादोला में नामकरण हुआ है। एक तो श्री अतुल कुमार "मुन्ना" जी और दूसरा श्री वकील अहमद मंसूरी जी के प्रेम में है, जो कि मा० अध्यक्ष जी के कार्यकालों द्वारा सम्पन्न हुआ है।

आगे श्री प्रमोद कुमार मान्य सभासद ने कहा कि आयुक्त महोदय के यहाँ से स्वीकृति होने पर वह लागू होता है। इसी प्रकार से जलमूल्य के रेट के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयुक्त महोदय को गया था उसके लिए आपने कहा था, वह क्यों नहीं लागू हुआ जो कि हमलोग पास किये हैं। क्या हमलोग भी पत्थर लगवा सकते हैं जब बोर्ड से पास है।

आगे श्री गुलाबचन्द शाह मान्य सभासद ने कहा कि जलमूल्य का जो प्रस्ताव आयुक्त महोदय के यहाँ लम्बित है और बोर्ड ने उसे पास किया है कि 10/- प्रतिमाह के हिसाब से लिया जाय तो 600/- के हिसाब से क्यों लोगों के यहाँ नोटिस भेजी जा रही है।

आगे अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैं मा० अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जब एक व्यवस्था हुयी है कि अभी पुष्टि हो रही है और उसी पुष्टि के बाद एजेन्डा की कार्यवाही करने के उपरान्त अलग-अलग विषयों के लिए अलग से समय रख लिया जाय तो अभी इस पर चर्चा होने का सवाल ही नहीं होता है।

आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि बीच में मुझे एक प्रश्न याद आ गया। मैं यह कहना चाहूँगा कि अरविन्द नगर कालोनी के नामकरण हेतु प्रस्ताव लाया गया था, उसमें यह कहा गया कि स्वीकृति के उपरान्त ही नामकरण पटल लगाया जायेगा तो मैं यह जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बात आ गयी कि पत्थर पटल कहीं-कहीं लगा दिया गया क्या पत्थर लगाना नियम विरुद्ध है, जबकि बोर्ड ने वाटर चार्ज के बारे में जो दर लागू किया था, उसे क्यों नहीं लागू किया गया?

आगे अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैं विनम्रता से मा० अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि पहले एलाउ कर दें कि यदि प्वाइन्ट आफ आर्डर बिन्दु एवं मोशन है, और उसे दे दिया जाय और उस पर डिस्कशन हो और तब आगे की कार्यवाही चलायी जाय। आगे अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नियमों के तहत

जो नोटिस जा रही है वह सही जा रही है लेकिन जो भी नोटिस जारी होगी, इस पर बोर्ड जो निर्णय लेगी उससे जिलाधिकारी तथा आयुक्त महोदय को अवगत कराकर कार्यवाही होगी। मा० जिलाधिकारी के माध्यम से मा० अध्यक्ष के पत्र गये हैं, जिसमें मासिक बैठक होती है उसमें जिलाधिकारी ने वसूली न होने पर वेतन रोक रखे हैं। जहाँ तक 50/- के हिसाब से जो नोटिस गयी है, उसे कार्यवृत्त में लिखवा दिया जाय। किन्तु 10/- प्रतिमाह के हिसाब से जलमूल्य की वसूली हम नहीं करा सकते और 50/- के हिसाब से वसूली पर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आयुक्त महोदय जब तक इसे अनुमोदित नहीं कर देंगे तब तक 10/- की दर से नहीं लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश होते हैं कि 50/- के हिसाब से वसूली किया जायेगा।

आगे श्री गुलाबचन्द शाह मान्य सभासद ने कहा कि रू० 50/- के बजाय 10/- के हिसाब से वसूली करायी जा रही है इसका समाचार-पत्र में प्रकाशन कराया जाय। अधिशासी अधिकारी ने ऐसा करने के सम्बन्ध में असमर्थता जाहिर की।

आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि पूर्व में सदन का निर्णय लेकर रिक्शा लाईसेन्स की दर का गजट में प्रकाशन कराकर उसके अनुसार लाईसेंस शुल्क लिया जा रहा है। सदन जो चुना हुआ है, यह वार्ड का प्रतिनिधि है। जनता की आवाज प्रतिनिधि के माध्यम से कहते हैं। इसी प्रकार होटल, डाक्टर, डिस्पेन्सरी आदि के लाइसेंस आये, उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति भी किये और सुनवाई के उपरान्त उसपर कार्यवाही की गयी और उसी अनुसार वसूली सम्भवतः शुरू हो गयी है। उसी प्रकार 50/- के हिसाब से जो जलमूल्य लागू कर रहे हैं, क्या वह व्यवहारिक होगा?

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कु० खुशबू खातून मान्य सभासद ने कहा कि जहाँ तक वाटर चार्ज के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में मेरा कहना है कि 10/- प्रतिमाह वाटर चार्ज करने के लिए आज ही अध्यक्ष जी निर्णय लें यह जनहित में आवश्यक है। बिना इसका निर्णय लिए हुए कार्यवाही आगे न चलायी जाय। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर निर्णय लें, क्योंकि यहाँ पर कोई मिल फैक्ट्री नहीं है गरीब जनता है।

इस पर विचारोपरान्त मा० अध्यक्ष ने कहा कि सभी मान्य सभासदों के विचारों का सम्मान करते हुए और जनहित की भावनाओं का सम्मान करते हुए जब तक कोई मामला

डिसाइड न हो जाय तब तक यह जो 50/- के हिसाब से वसूली की जा रही है उसे रोकवा दिया जाय अर्थात 50/- के हिसाब से वसूली स्थगित कर दी जाय और मान्य सभासद की भावनाओं का अनुसरण करते हुए 10/- प्रतिमाह के हिसाब से वाटर चार्ज की वसूली कराली जाय।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि वाटर चार्ज से हमारे भाई-बहन सभासद काफी चिन्तित हैं, जैसा कि शासनादेश आया है, और सदन में काफी चर्चा हुयी और सदन ने बहुमत से पास किया। सड़क के नामकरण की जहाँ तक बात आयी है, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जहाँगीराबाद में स्व० श्यामाशंकर श्रीवास्तव जी के नाम से व मुल्लाटोला में एक आलिम के नाम से पत्थर लगाकर नामकरण हुआ है। यह कहा गया कि आयुक्त महोदय की स्वीकृति नहीं आयी है तो नामकरण कैसे हुआ? दुर्भाग्य हमारा यह है कि जनमानस के लिए हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। आयुक्त महोदय इस पर स्वीकृति न दें और हमारा कार्यकाल 5 वर्ष बीत रहा है तो हम यह अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं? पहले यह चर्चा कर लिये जाय कि 5 वर्ष में जो कार्य वृत्त भेजी गयी है क्या उस पर स्वीकृति आयी है? मैंने जो यह अच्छा कार्य जनता में जनमानस के लिए किया है। जहाँ तक वाटर चार्ज की बात है जो प्रस्ताव आयुक्त महोदय के यहाँ पहले गया है और वहाँ से स्वीकृत नहीं हुआ और वहाँ से कोई निर्देश हुआ कि 50/- के हिसाब से वसूली की जाय तो इसके लिये कौन दोषी होगा, इस पर भी विचार कर लेना जरूरी है। इस पर श्री सतीश कुमार मान्य सभासद ने कहा कि यह दुविधा की बात है। आपने कहा कि 50/- के हिसाब से वसूली नहीं होगी तो क्लीयर बताया जाय कि कितने पर होगी? पुनः श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि अगर गजट कराकर आयुक्त महोदय के यहाँ प्रस्ताव भेजा जायेगा तो वहाँ से स्वीकृति मिलगी कि नहीं? आगे अधिशासी अधिकारी ने कहा कि हमने तो पूर्व में आपत्ति दर्ज करा दी थी और आज भी कह रहा हूँ कि जब तक आयुक्त महोदय के यहाँ से निर्णय न हो जाय तब तक 10/- की दर से वसूली नहीं करा सकता हूँ, यदि वसूली 10/- के हिसाब से होगी तो डिमाण्ड घटाना होगा।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि यह इस पालिका की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की पालिकाओं

की बात है। अन्य पालिकाओं के बोर्ड ने जो तय किए हैं प्रदेश के शासन का स्पष्ट है इसलिए आप का स्पष्ट निर्देश है कि वह किस दर पर वसूली करें क्योंकि वसूली न होने से पालिका कर्मचारियों को वेतन जिलाधिकारी द्वारा रोक दिया गया है। इसलिए जनता एवं कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए और सभासदों की भावनाओं को देखते हुए आज आप तय कर दें कि 10/- या 20/- अथवा किस दर पर वसूली हो। आगे श्री [illegible] एवं मान्य सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी लिखित आदेश दें दें कि किस दर पर वसूली हो।

मा० अध्यक्ष ने कहा कि सभी मान्य सभासदों की भावनाओं के अनुरूप 50/- के बजाय 10/- प्रतिमाह के हिसाब से कर चार्ज की वसूली किये जाने हेतु मैं लिखित निर्देश मैं अपने स्तर से जारी करूँगी।

अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैं यह अवगत कराना चाहूँगा कि बोर्ड की प्रोसीडिंग आयुक्त महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जाती है जैसा कि मैं मा० अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि लिखित आदेश इस सम्बन्ध में जारी करेंगी तो पालन करना मेरी बाध्यता होगी. जैसा कि बोर्ड ने निर्णय लिया और मा० अध्यक्ष जी का आदेश हो जायेगा और जिस दिन से शासनादेश के अनुसार डिमान्ड बनायी गयी है तो उसका उल्लेख करके डिमान्ड कम किया जायेगा क्योंकि हम डिमान्ड बनाकर शासन में भेज चुके हैं और हर मीटिंग में डिमान्ड जा चुकी है इसलिए यदि डिमान्ड कर अधीक्षक या कर लिपिक घटायेंगे तो मा० अध्यक्ष द्वारा आदेश का उल्लेख कराकर उस डिमान्ड में 1/5 भाग कम करके डिमान्ड जायेगी। आगे अधिशासी अधिकारी ने यह कहा कि जैसा कि अन्य पालिकाओं के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है उसी तरह मा० अध्यक्ष जी द्वारा बोर्ड की मीटिंग का हवाला देकर आदेश जारी करेंगी तो मैं जिलाधिकारी तथा आयुक्त महोदय को अवगत कराकर डिमान्ड कम करने तथा 10/- की दर से वसूली कराने का प्रयास करूँगा।

प्रस्ताव सं० 2, 3 के सम्बन्ध में श्री वकील अहमद कुरैशी मान्य सभासद ने कहा कि मार्च में बजट प्रस्तुत हुआ उसकी सभी ने प्रशंसा की थी और आपने अपेक्षा की थी कि हम ऐसा कार्य करें कि अच्छी व्यवस्था जनहित में हो। वसूली के जो स्रोत हैं मैं समझता हूँ कि पिछले 6 माह में और इस वित्तीय वर्ष के 6 माह में वसूली में कितना प्रयास हुआ है, वसूली का क्या प्रतिशत रहा है

इस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस सम्बन्ध में पिछली बार 6 माह में 7% वसूली थी और इस बार 15% वसूली हुयी है इसके लिए मैं बराबर वसूलकर्ता कर्मचारियों की मीटिंग लेता हूं और उन्हें बराबर हिदायत करता हूँ।

आगे श्री वकील अहमद अंसारी मान्य सभासद ने कहा कि वसूली नहीं हुयी तो दुर्गा पूजा निकट है और जनहित में बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन हम स्वामी जी मा० सांसद जी के आभारी हैं कि जो कि उन्होंने 38.00 लाख रुपये दिये हैं।

अन्त में पिछली कार्य-वृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

	प्रस्ताव	निर्णय
(2)	पं० दीनदयाल चेतना संस्थान जौनपुर का पत्र दिनांक 6 मई 2000 परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव सं० 2 पढ़ा गया, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
(3)	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव प्रदेश मंत्री भारतीय शिक्षा समिति काशी प्रदेश पक्की बाग गोरखपुर का प्रार्थना पत्र दि० 12-9-2000 बाबत मोहल्ला पुरानीबाजार में पालिका का एक भूखण्ड जिसपर पालिका द्वारा एक विद्यालय चलाने की योजना बनायी गयी थी जो किन्हीं कारणों से पूर्ण नहीं हो पायी उसे क्र: 30 वर्ष के लिए पट्टे पर शिक्षण कार्य हेतु हस्तान्तरित करने हेतु प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ।	प्रस्ताव सं० 3 पढ़ा गया जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
(4)	श्री अशोक कुमार सेठ नगर अध्यक्ष, भाजपा, जौनपुर के आवेदन पत्र बाबत सदर चुंगी स्थित डूडा कार्यालय जो वर्तमान में खाली पड़ा है को भाजपा नगर इकाई जौनपुर को कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए नगर भाजपा को किरायेदारी के रूप में दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव सं०-4 पढ़ा गया। श्री संजय कुमार मौर्य मान्य सभासद ने डूडा कार्यालय से लगे खाली कमरे के बारे में बात उठायी। इस पर मान्य सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि प्रस्ताव में डूडा कार्यालय के आगे "जो" शब्द के स्थान पर "व" शब्द आना चाहिए। इस बात को लेकर सदन में काफी चर्चा हुयी और यह कहा गया कि भाजपा के नगर अध्यक्ष का आवेदन-पत्र प

Scanned with OKEN Scanner

जाय, जिसपर मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने आवेदन पत्र पढ़ कर सदन को सुनाया जिसमें स्पष्ट लिखा था कि " डूडा " कार्यालय भवन जो खाली है उसे आवंटित किया जाय। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि डूडा कार्यालय इस समय खाली नहीं है, इसमें डूडा कार्यालय का आज भी ताला बन्द है तथा उसमें उनका फर्नीचर वगैरह भी है। इसके लिए मैंने कई पत्र डूडा कार्यालय को जो इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में है लिखा जिसकी प्रतिलिपि मा० अध्यक्ष जी को भी भेजा है तथा वहाँ से भी कई पत्र आये हैं जिसे पढ़कर अधिशासी अधिकारी ने सदन में सुनाया और सुझाव दिया कि चूँकि डूडा कार्यालय खाली नहीं है, इसलिए उसके आवंटन पर विचार नहीं हो सकता है, क्यों कि डूडा कार्यालय के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि मैं यह चाहता हूँ कि डूडा कार्यालय के बगल का खाली कमरा को भाजपा को किराये पर आवंटित किया जाय, लेकिन उसके लिए एग्रीमेन्ट व किराया तय कर लिया जाय।

आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि इस प्रस्ताव में जो " जो " शब्द लिखा है, उसके स्थान पर " व " पढ़ा जाय अर्थात प्रस्ताव इस प्रकार पढ़ा जाय कि " सदर चुँगी स्थित डूडा कार्यालय व वर्तमान में खाली पड़ा है को भाजपा नगर इकाई को कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए ----"। जिसका समर्थन करते हुए मान्य सभासद श्री संजय कुमार मौर्य श्री प्रमोद कुमार एवं श्री गुलाबचन्द्र शाह आदि ने कहा कि डूडा कार्यालय के बगल वाला कमरा खाली है अभी दे दिया जाय और जिसमें मान कार्यालय है, उसको खाली कराने की कार्यवाही की जाय।

इस पर श्री सतीश कुमार श्री वकील अहमद मंसूरी आदि मान्य सभासदों ने काफी विरोध किया और कहा कि यह लिखा जाय कि जैसा कि अन्य पार्टी को आवंटित किया गया है वैसे ही भाजपा कार्यालय को भी खाली भवन आवंटित किया जाता है। इस पर श्री जगदीश कुमार, श्री संजय मौर्य, प्रमोद कुमार मान्य सभासद ने कहा कि इन लोगों का विरोध दर्ज किया जाय और प्रस्ताव बहुमत से पास किया जाता है। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि डूडा के बगल स्थित आवास नगर भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया जाय तथा डूडा कार्यालय खाली कराने हेतु प्रयास किया जाये।

इसके उपरान्त श्री जगदीश कुमार सहित अन्य कई मान्य सभासदों ने कहा कि काफी समय हो गया है और आज जयूतिया का पर्व है, इसलिए इस बैठक को यहीं समाप्त कर दिया जाय। इस पर विचारोपरान्त मा० अध्यक्षा ने कहा कि आज की बैठक यहीं समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर)
(सतीशचन्द्र मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, जौनपुर
21-9-2000

संध्यारानी श्रीवास्तव
(संध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्षा
नगरपालिका परिषद, जौनपुर
21-9-2000

Scanned with OKEN Scanner